कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा नहर गुण नियंत्रण
खण्ड–2, हरिद्वार।

पत्रांक : /मगंनगुनिखं–2/नीलामी/2017–18, दिनांक 2017

अल्पकालीन नीलामी सूचना–01/अ0अ0/2017–18

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के निष्प्रयोज्य राजकीय वाहन की नीलामी "जहां है, जैसा है, के आधार पर" दिनांक 15.01.2018 को अपरान्ह 2.00 बजे प्राधिकृत समिति द्वारा खण्डीय कार्यालय के प्रांगण में की जायेगी।

क्रमांक	वाहन का नाम	मॉडल/प्रकार	धरोहर राशि
1	2	3	4
1.	जीप संख्या यू0पी0–10/3904	महिन्द्रा, वर्ष 1990/डीजल	5,000.00

नीलामी की मुख्य शर्तें :–

1– नीलामी के सम्बन्ध में सर्वाधिकार अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर गुण नियंत्रण खण्ड–2, हरिद्वार के पास सुरक्षित रहेंगे।

2– इच्छुक बोलीदाता जो नीलामी में भाग लेना चाहते हों, वह दिनांक 15.01.2018 को अपरान्ह 1.00 बजे तक **धरोहर धनराशि के रूप में एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/सी0डी0आर0 जो कि अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर गुण नियंत्रण खण्ड–2, हरिद्वार के नाम बन्धक हो, को जमा करनी होगी।** किसी भी दशा में नगद धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

3– बिना धरोहर धनराशि जमा किये नीलामी में भाग लेने का कोई भी व्यक्ति/फर्म पात्र नहीं होगा।

4– बोलीदाता के द्वारा वाहन का निरीक्षण विश्वबैंक कालोनी, सिंहद्वार हरिद्वार में नीलामी की तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे के मध्य सहायक अभियन्ता–प्रथम से सम्पर्क कर किया जा सकता है।

5– वाहन को सम्भागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम नीलामी मूल्य से ऊपर बोली गयी उच्चतम/अन्तिम नीलामी दर से ही स्वीकार की जायेगी।

6– नीलामी के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को अपनी बोली का 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी अन्यथा धरोहर धनराशि राजकीय हित में जब्त कर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की बोली पर विचार किया जायेगा।

7– नीलामी की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के पश्चात् शेष 75 प्रतिशत धनराशि एवं नियमानुसार देय जी0एस0टी0 सहित सात दिवस के भीतर जमा कर वाहन को उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा बोलीदाता द्वारा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय अधिकतम बोली दाता की नीलामी दर को स्वीकृत कर वाहन विक्रय कर दिया जायेगा अथवा नीलामी प्रक्रिया निरस्त कर दोबारा नीलामी प्रक्रिया करने का अधिकार समिति को होगा।

8– बोली की वैद्यता 90 दिवस तक होगी। सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

9– वाहन जहां है जैसा के आधार पर नीलाम किया जायेगा। वाहन में किसी पार्ट की कमी अथवा खराबी के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

10– नीलामी की स्वीकृति का अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा यदि कतिपय कारणों से प्रदान नहीं किया जाता है अथवा विलम्ब से प्रदान करने पर बोलीदाता द्वारा जमा धनराशि पर कोई ब्याज का क्लेम मान्य नहीं होगा।

11– किसी भी वाद–विवाद सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय हरिद्वार परिक्षेत्र में ही निबटाये जायेंगे।

अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा नहर गुण नियंत्रण
खण्ड–2, हरिद्वार